न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 69/2020(2020/00094)

अनवान : –

1. शीशपाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हेमराज पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. जयसिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. रोहताश पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
4. कमला पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
5. सिलोचना पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
6. कौशल्या पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
7. एसबीआई बैंक छानीबड़ी तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग वादी
श्री रोहिताश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 22/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 121/109 के मुरब्बा न0 3 के किला न0 16, 17 मुरब्बा न0 12 के किला न0 19 ता 22 कुल किता 6 की कुल 1.505 हैक्टेयर नहरी मय खाला, इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता संख्या 156/157 के मु0 न0 8 के किला न0 12, 13, 18, 19, मुरब्बा न0 9 के किला न0 4, 5 कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी मय खाला, इसी प्रकार चक 1 एएमएस के खाता संख्या 88/84 के मुरब्बा न0 46 के किला न0 8/1, 9 ता 12, 13/1, 20 कुल किता 7 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:39:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पूर्व में चुनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। चुनीराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी हेमराज ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हेमराज ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हेमराज के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज को वादी के दादा चुनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी खतौनी चक 4 एएमएस सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 9 एवं जमाबन्दी खतौनी चक 5 एएमएस सम्वत 2029–38 खाता संख्या 5 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 4 ता 6 वादी की बहिनें है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी शीशपाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 4 एएमएस सम्वत 2073–76 खाता संख्या 121/109 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 5 एएमएस सम्वत 2073–76 खाता संख्या 156/157 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 1 एएमएस सम्वत 2071–74 सम्वत 2071–74 खाता संख्या 88/84 प्रदर्श 3, जमाबन्दी खतौनी चक 4 एएमएस सम्वत 2029–38 खाता संख्या 9 प्रदर्श 4, जमाबन्दी खतौनी चक 5 एएमएस खाता संख्या 2029–38 खाता संख्या 5 प्रदर्श 5, सरपंच ग्राम पंचायत बिराण का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी हेमराज के नाम दर्ज चक 4 एएमएस के खाता संख्या 121/109 व चक 5 एएमएस के खाता संख्या 156/157 में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार बराबर घोषित करवाना चाहा है। जबकि चक 1 एएमएस के खाता संख्या 88/84 में स्थित भूमि प्रतिवादी हेमराज स्वयं ने अपने नाम रखने हेतु निवेदन किया है तथा विरासतन में मिली हो, ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:21 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस [illegible] किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। [illegible] वादी ने रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 121/109 के मुरब्बा न0 3 के किला न0 16, 17 मुरब्बा न0 12 के किला न0 19 ता 22 कुल किता 6 की कुल 1.505 हैक्टेयर नहरी मय खाला, इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता संख्या 156/157 के मु0 न0 8 के किला न0 12,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

13, 18, 19, मुरब्बा न0 9 के किला न0 4, 5 कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 121/109 के मुरब्बा न0 3 के किला न0 16, 17 मुरब्बा न0 12 के किला न0 19 ता 22 कुल किता 6 की कुल 1.505 हैक्टेयर नहरी मय खाला, इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता संख्या 156/157 के मु0 न0 8 के किला न0 12, 13, 18, 19, मुरब्बा न0 9 के किला न0 4, 5 कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी शीशपाल, प्रतिवादी संख्या 2 जयसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 रोहताश तीनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 6 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:21 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़